अब एक बार में ही 5 वर्ष के लिए जारी होंगे ट्रेड लाइसेंस

अमर उजाला ब्यूरो

नियमित शुल्क जमा करने पर स्वत: होगा लाइसेंस का नवीनीकरण

उद्यमियों को मिलेगी राहत, निकायों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति

लखनऊ। अब उद्यमियों को एक साथ कम से कम तीन और अधिकतम पांच साल तक के लिए ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 'ऑटो रिन्युअल मॉड्यूल' से जहां उद्यमियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं लाइसेंस नवीनीकरण के लिए हर साल नगर निकायों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

दरअसल, नगर निकायों को कई मदों में लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। अब तक की व्यवस्था के मुताबिक सिर्फ एक साल के लिए ही ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाते थे। इसके अलावा लाइसेंस पर लगने वाला शुल्क निर्धारण भी उद्यमियों की परेशानी का कारण बनता था। इन स्थितियों को देखते हुए ही केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से तैयार किए 'बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2020' में ट्रेड लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था को और सरल करने के साथ ही दीर्घकालीन लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की गई है। इसके मद्देनजर नगर विकास विभाग ने ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था को और सरल बनाकर तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार की ओर से इस संबंध में सभी निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

एकमुश्त शुल्क जमा करने पर ही मिलेगा दीर्घकालीन लाइसेंस

नई व्यवस्था में लाइसेंस जारी करने के साथ ही उसके नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसी तरह एक साल के स्थान पर अब अधिकतम पांच और कम से कम तीन साल तक के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अलबत्ता उन उद्यमियों को ही दीर्घकालिक अवधि के लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो एकमुश्त लाइसेंस शुल्क जमा करेंगे। अन्यथा उन्हें हर साल नियमित तौर पर लाइसेंस शुल्क जमा करने पर ही लाइसेंस की अवधि बढ़ेगी।